संख्या-712/2025/2011/22-2-2023-17(846)/2022

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 30 जून, 2025

विषय:- जिला कारागार, बस्ती में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी राजेश सिंह पुत्र श्री राम सेवक सिंह, निवासी जनपद-बस्ती की सामान्य दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक (मु0) कारागार के पत्र संख्या-14762/प्रोबे0-5-दया0 बैठक-31.03.2023, दिनांक 09.05.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, बस्ती में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजेश सिंह पुत्र श्री राम सेवक सिंह, जो-इटबहरा, थाना-पैकोलिया, जनपद-बस्ती का निवासी है। बन्दी द्वारा दिनांक 19-06-1981 को 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर चाकू व गोली से मारकर 01 व्यक्ति की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-306/1982 में भा०द०वि० की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, बस्ती के आदेश दिनांक 26.04.1989 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसकी अपील मा० उच्च न्यायालय, इलाहावाद के आदेश दिनांक 30-05-2014 द्वारा निर्णीत करते हुए उक्त सजा को यथावत रखा गया। बन्दी की अपील मा० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में लम्बित है। बंदी द्वारा दिनांक 15.01.2023 तक 07 वर्ष, 05 माह, 18 दिन की अपरिहार सजा तथा 09 वर्ष, 03 माह, 04 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी की आयु दिनांक 15.01.2023 तक 66 वर्ष है।

3- सिद्धदोष बन्दी राजेश सिंह पुत्र श्री राम सेवक सिंह की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के प्रकरण पर समिति द्वारा विचार किया गया। बन्दी द्वारा अपरिहार 07 वर्ष, 05 माह, 18 दिन की अपरिहार सजा तथा 09 वर्ष, 03 माह, 04 दिन की भोगी गयी सजा तथा पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बस्ती द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, बस्ती में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजेश सिंह (बन्दी संख्या-5160/2014) पुत्र श्री राम सेवक सिंह, निवासी जनपद-बस्ती की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई की संस्तुति सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-712/2025/2011(1)/22-2-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बस्ती।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, बस्ती।

3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।

4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से
सूर्य प्रकाश मिश्र
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।